संख्या-603/2018/2268/22-2-2017-17(573)/2017

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 30 अगस्त, 2018***

विषय:-नारी बन्दी निकेतन/आदर्श कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी सैरून पत्नी श्री नेवाजी, निवासी जनपद-हरदोई की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-32186/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-12-07-2017 दिनांक 05-9-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार महिला बन्दी सैरून पत्नी श्री नेवाजी, निवासी-ग्राम बेहंदर खुर्द, थाना-कासिमपुर, जनपद-हरदोई का रहने वाली है। महिला बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर घटना दिनांक 12.10.2004 को 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी बहू के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया जिसमें बहू की हत्या का अपराध कारित किया गया है। उक्त दण्ड के विरूद्ध महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-543/05 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-03, हरदोई के आदेश दिनांक 23.11.2007 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 15.02.2017 तक 12 वर्ष 01 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 15 वर्ष 02 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है, लेकिन दयायाचिका समिति द्वारा महिला बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित महिला बन्दी सैरून (बन्दी संख्या-1544/एन.बी.एन.) पत्नी श्री नेवाजी, निवासी जनपद-हरदोई की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से महिला बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमर सेन सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-603/2018/2268(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।
2- वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, नारी बन्दी निकेतन/आदर्श कारागार लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in